संख्या-43/2022/।/157822/2022/001-71-2099-784-2021

प्रेषक,

आलोक कुमार,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय,
उ0प्र0 लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 **लखनऊ दिनांक 21 अप्रैल**, 2022

विषयः- वित्तीय वर्ष 2022-23 **में विश्वविद्यालय के कार्मिकों के वेतन एवं गैर वेतन मद के आवश्यक व्ययों के वहन हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-78/**वित्त एवं लेखा/**22, **दिनांक** 06-04-2022 **एवं पत्र संख्या-**105/**वित्त एवं लेखा/**22, **दिनांक** 07-04-2022 **का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा क्रमशः वित्तीय वर्ष** 2022-23 **में अनुदान संख्या-**31 **के अन्तर्गत राजस्व पक्ष में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वेतन एवं गैर वेतन मद में धनराशि अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।**

2- **इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष** 2022-23 **में अनुदान संख्या-**31 **के अन्तर्गत राजस्व पक्ष में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष चिकित्सा विश्वविद्यालय को** 31-**सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन) एवं** 20-**सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के अन्तर्गत कुल रू**0 26498.11 **लाख (रूपये दो अरब चौसठ करोड़ अठानवे लाख ग्यारह हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त करते हुए उनके निवर्तन पर रखे जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:-**

क्रम	संस्थान/विश्वविद्यालय	लेखाशीर्षक	मद	अवमुक्त धनराशि (रू0 लाख में)
1	किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उ0प्र0 लखनऊ	2210-05-105-03-0366- किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश	31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन)	23498.11
			20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)	3000.00
			योग-	26498.11

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

1. **स्वीकृत की जा रही धनराशि आहरित कर डाकघर/बैंक में नहीं रखी जायेगी।**
2. **स्वीकृत धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यकतानुसार एवं व्यय नियमानुसार किया जायेगा तथा इसका उपयोग उसी मद में किया जायेगा, जिसके लिए यह धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद में व्यय वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।**
3. **कुलपति/कुलसचिव, के0जी0एम0यू0 एवं वित्त अधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि विगत वर्ष की कोई अप्रयुक्त धनराशि अवशेष है तो उसका समायोजन किया जा चुका है।**
4. **वित्त (आय-व्योयक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-15/2021/बी-1-829/दस-2021-231/2022, दिनांक 30-12-2021 एवं शासनादेश संख्या-5/2022/बी-1-224/दस-2022-231/2022, दिनांक 29-03-2022 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**
5. **स्वीकृत धनराशि का व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा, इसके अभाव में अनुदान की आगामी किश्त निर्गत किया जाना सम्भव नहीं होगा।**

1- **यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।**
2- **इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट** http://shasanadesh.up.gov.in **से सत्यापित की जा सकती है ।**

6. धनराशि को कोषागार से चिकित्सा विश्वविद्यालय द्वारा आहरित किया जायेगा तथा बिलों पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जायेंगे।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय (1) रुपये 30,00,00,000 (रुपये तीस करोड़ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-2023 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 031 लेखा शीर्षक 2210-05-105-03-0366 किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश मानक मद 20 सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) (2) रुपये 2,34,98,11,000 (रुपये दो अरब चौंतीस करोड़ अट्ठानबे लाख ग्यारह हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-2023 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या- 031 लेखा शीर्षक 2210-05-105-03-0366 किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश मानक मद 31-सहायता अनुदान - सामान्य (वेतन) के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-15/2021/बी-1-829/दस-2021-231/2022, दिनांक-30 दिसंबर, 2021 मे एवं शासनादेश संख्या-5/2022/बी-1-224/दस-2022-231/2022, दिनांक 29-03-2022 में प्रतिनिधानित किये गये अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(आलोक कुमार)
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

संख्या-43/2022/।/157822/001-71-2099-784-2021, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. कोषाधिकारी, जवाहर भवन/कलेक्ट्रेट लखनऊ।
4. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
5. नोडल अधिकारी, बजट आवंटन, चिकित्साण शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
6. वित्त अधिकारी, के0जी0एम0यू0, उ0प्र0 लखनऊ।
7. वित्त ई-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव,

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Filename: SHASANADESH 2022-23
Directory: G:\RAJRATAN SIR ALL WORK\Raj Ratan Sir work 2021
Template: C:\Users\me-2\AppData\Roaming\Microsoft\Templates\Normal.dotm
Title:
Subject:
Author: ajai
Keywords:
Comments:
Creation Date: 4/21/2022 10:45:00 AM
Change Number: 13
Last Saved On: 4/21/2022 11:30:00 AM
Last Saved By: me-2
Total Editing Time: 45 Minutes
Last Printed On: 4/21/2022 11:30:00 AM
As of Last Complete Printing
Number of Pages: 2
Number of Words: 610 (approx.)
Number of Characters: 3,478 (approx.)